

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-795/2018/ दिनांक:-


संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई- /म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती-2013)/2017/ 1565 दिनांक 03.11.2017 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.02.2016 की पालना में श्रीमती सुशीला ढीकवाल पुत्री श्री लोकराम (आई.डी. नं0 6030004812) का अनुसूचित जाति वर्ग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन किया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर के अधीन पदस्थापित किया गया था, जिसमें उसकी कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 13.11.2017 नियत थी।

अभ्यर्थी की स्वयं की प्रार्थना पर उनकी कार्यग्रहण अवधि निदेशालय के आदेश क्रमांक ई- /म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती-2013)/2017/126 दिनांक 23.01.2018 द्वारा दिनांक 05.02.2018 तक बढ़ाई गई।

अभ्यर्थी का पदस्थापन उसकी प्रार्थना पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूण्डल (आमेर), जयपुर प्रथम के अधीन किया जाता है जहां कार्मिका को दिनांक 20.02.2018 तक अपनी उपस्थिति देनी होगी।

आदेश दिनांक 03.11.2017 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-795/2018/328

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर/जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/जयपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर को भी ई-मेल करे।
6. श्रीमती सुशीला ढीकवाल पुत्री श्री लोकराम पत्नी श्री ओमप्रकाश ढीकवाल ग्राम टीबा बसई, तहसील ठीकरी, जिला झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति नियत तिथि तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूण्डल (आमेर), जयपुर प्रथम में कार्यग्रहण करें अन्यथा आदेश निरस्त समझे जावेंगे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर